भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1915

उत्तर देने की तारीख- 30/07/2026

जनजातीय समुदायों की बेदखली

†1915. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अपने दावों की मान्यता के लिए आवेदन करने के बावजूद वन में रहने वाले वन गुज्जर समुदाय की बेदखली और उत्पीड़न के मामलों का संज्ञान लिया है और यदि हाँ, तो ऐसे मामलों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 4 (5) के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई बेदखली को रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत बेदखली के नोटिस जारी करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य वन विभागों और जनजातीय कल्याण विभागों के लिए कोई विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वन गुज्जर समुदायों से 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' (संक्षेप में एफआरए) के तहत अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर मंत्रालय को जो अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, उनकी जांच की गई। चूंकि एफआरए को लागू करने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है, इसलिए इन आवेदनों को संबंधित राज्य सरकारों और ज़िला प्रशासनों के पास भेज दिया गया, ताकि वे एफआरए और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार इनकी जांच कर सकें और ज़रूरी कार्रवाई कर सकें।

(ख): जनजातीय कार्य मंत्रालय सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एफआरए (वन अधिकार अधिनियम) के प्रावधानों का पालन करने का आग्रह करता रहा है। एफआरए के तहत हुई प्रगति का आकलन करने के लिए राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, एफआरए के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में मंत्रालय को मिलने वाली शिकायतों/अभ्यावेदनों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैध दावेदारों को उनके वन अधिकारों से वंचित न किया जाए।

(ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे उपखण्ड स्तरीय समिति (एसडीएलसी) / जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) सदस्यों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित करें और एफआरए के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें। सभी प्रशिक्षण मॉड्यूल/पैम्फलेट नियमित रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के उपाय किए जा रहे हैं।
